न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 77/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/103

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. भोलीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिठोड़ा खुर्द ग्राम पंचायत चवाड़िया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. कैलाश शर्मा स्व. मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिठोड़ा खुर्द ग्राम पंचायत चवाड़िया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. हनुमानदास उर्फ हडमान पुत्र लक्ष्मण दास जाति कामड़ निवासी बिठोड़ा खुर्द ग्राम पंचायत चवाड़िया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत चवाड़िया जरिये सरपंच तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र तिवारी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/11/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा मिसल संख्या 8/96–97, संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.11.1998 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 925 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम बिठोड़ाखुर्द में प्रार्थीगण के पति व पिता का एक मालिकाना, कब्जाशुदा, रहवासीय मकान आया हुआ है। प्रार्थीगण के मकान के आगे करीबन 12 फीट चौड़ा रास्ता है, जिसक उपयोग करीबन 50–60 वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष मिथ्या दस्तावेज पेश कर रास्ते की भूमि को अपना पुश्तैनी भूखण्ड बताकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

चवाड़िया द्वारा मिसल संख्या 8/96–97, संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.11.1998 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 925 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने फोटोग्राफ्स पेश किये परन्तु प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से यह प्रमाणित नहीं होता है कि ये जैर निगरानी आराजी के ही है और उसमें दर्शित रास्ता रेकर्डड रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग हो रहा हो। अधिवक्ता प्रार्थी ने रास्ते के सम्बन्ध में केवल तर्क और फोटोग्राफ्स पेश किये है इसकी ताईद में कोई ठोस दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथना करना स्वीकार्य नहीं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने बिना कोई प्रक्रिया अपनाये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 29.10.2025 के द्वारा अवगत करवाया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है परन्तु ग्राम पंचायत से दिनांक 23.03.1997 से दिनांक 18.06.1998 तक का बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन करने पर यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होता है कि बैठक दिनांक 13.05.1997 प्रस्ताव संख्या 4 क्रम संख्या 24 पर मिसल संख्या 8/96–97 हरजीराम पुत्र चिमनाराम गुर्जर जोगड़ावास अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे पर मिसल संख्या 8/96–97 हड़मानदास पुत्र लक्ष्मणदास अंकित है अर्थात् प्रश्नगत पट्टा जिस मिसल एवं उसमें पारित प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है वह वास्तविकता में किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित है यानि जिस मिसल के आधार पर पट्टा जारी होना बताया गया, वह वास्तव में अप्रार्थी से सम्बन्धित नहीं होकर हरजीराम से सम्बन्धित है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, यह प्राकृतिक न्याय और पंचायती राज नियमों का सीधा उल्लंघन है। जैर निगरानी पट्टा जिस मिसल के आधार पर जारी होना बताया गया है, वह वास्तव में पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित है। ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मूल रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तथा ग्राम पंचायत से जो बैठक रजिस्टर प्राप्त हुआ उसे देखने पर यह सामने आया कि जिन तिथी में मिसल संख्या 08/96–97 के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित हुए, उनमें अप्रार्थी संख्या 1 का नाम नहीं है। यह दर्शाता है कि अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी होने का कोई वैधानिक आधार बैठक रजिस्टर में मौजूद ही नहीं था। एक मिसल दो व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं हो सकती, अतः यह सीधा रिकॉर्ड में हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। पट्टा निर्गमन में उसी मिसल को अप्रार्थी से जोड़कर दर्शाया गया, जो स्पष्ट रूप से जाली प्रविष्टि की ओर संकेत करता है। यह परिस्थिति दिखाती है कि मिसल तो किसी और का थी,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

लेकिन लाभ किसी और को पहुँचा दिया गया। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड अनुपलब्ध होना, मिसल का गलत उपयोग, वास्तविक मिसल संख्या व उसका नाम जारी पट्टे से मेल न खाना ये दर्शाते हैं कि पंचायत ने जानबूझकर विशिष्ट व्यक्ति को लाभ पहुँचाने हेतु अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया दोनों का उल्लंघन है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी किया जाना प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो भी ऐसी स्थिति में जब विवादित भूमि पर अप्रार्थी का पूर्व से मकान बना हुआ हो, पट्टे की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा मिसल संख्या 8/96–97, संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.11.1998 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 925 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बंजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली